कार्यालय, जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताडा (झारखंड)
ई–मेल : atmajmt@gmail.com

पत्रांकः– 12 /उद्यान जामताड़ा/दिनांक 19/01/2024

प्रेषक,

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।

सेवा में,

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,
जामताड़ा।

विषयः– **सूचना प्रकाशन करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करते हुए कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्र प्रायोजित इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉटीकल्चर (MIDH) राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित संलग्न आवश्यक सूचना का प्रकाशन जिला स्तर पर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में करने का निदेश दिया गया है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि संलग्न सूचना को जिला स्तरीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Kumar 19.01.2024

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 12 /कृषि, जामताड़ा/दिनांकः– 19/01/2024

प्रतिलिपिः– निदेशक, झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड, राँची/उप विकास आयुक्त, जामताड़ा/उपायुक्त, जामताड़ा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Kumar 19.01.2024

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।

कार्यालय, जिला उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा

किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्र प्रायोजित इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉटीकल्चर (MIDH) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यान्वयन हेतु जामताड़ा जिलान्तर्गत निम्नवत् लक्ष्य प्राप्त हुआ है:–

क्र0	कार्य अवयव	लक्ष्य
1	स्ट्रोबेरी की खेती (ड्रीप एवं पलवार पद्वति के साथ) Strawberry (int. Drip and Mulching system)	05 हेक्टेयर
2	स्ट्रोबेरी की खेती Strawberry-without integration	0.5 हेक्टेयर
3	पपीता की खेती (ड्रीप पद्वति के साथ) Papaya (int. Drip system)	06 हेक्टेयर
4	पपीता की खेती Papaya- without integration	0.5 हेक्टेयर
5	आम की खेती Mango Farming	07 हेक्टेयर
6	नीबू की खेती Lime Farming	07 हेक्टेयर
7	चींकू की खेती Sapota Farming	05 हेक्टेयर
8	अमरूद की खेती Guava Farming	07 हेक्टेयर
9	अनार की खेती Pomegranate Farming	05 हेक्टेयर
10	ऑवला की खेती Aonla Farming	02 हेक्टेयर
11	बेल की खेती Bael Farming	02 हेक्टेयर
12	लिची की खेती Litchi Farming	02 हेक्टेयर
13	कटहल की खेती Jack Fruit Farming	01 हेक्टेयर
14	सब्जी की खेती Hyd vegetable Farming	50 हेक्टेयर
15	कंटिग फूलों की खेती Cut Flower Farming	05 हेक्टेयर
16	ब्लबस फूलों की खेती Bulbulous Flower Farming	07 हेक्टेयर
17	लूस फूलों की खेती Loose Flower Farming	07 हेक्टेयर
18	मिर्चा/अदरख की खेती Spices and Rhizomatic Spices Farming	08 हेक्टेयर
19	शेडनेट (टुयब्लर स्ट्राक्चर) Shadenet (Tubular Structure)	3000 sqm
20	प्लास्टीक मालचिंग Plastic Mulching	25 हेक्टेयर
21	पक्षी रोधक जाल Anti Bird /Anti Hail Nets	2000 sqm
22	उच्च मूल्य की सब्जी खेती पॉली/शेडनेट के अन्दर Cost of planting material of high value Vegetable grown in poly house/shadenet house	1000 sqm
23	उच्च मूल्य का जरबेरा एवं कारनेशन फूल खेती पॉली/शेडनेट के अन्दर Cost of planting material of high value Carnation & Gerbera grown in poly house/shadenet house	1000 sqm
24	उच्च मूल्य की गुलाब एवं लिलियम फूल खेती पॉली/शेडनेट के अन्दर Cost of planting material of high value Rose & Lilum grown in poly house/shadenet house	1000 sqm
25	वर्मी बेड HDPE Vermibed	30 यूनिट
26	पैंक हाउस Pack House	8 यूनिट
27	PHM- Primary/Mobile/Minimal Processing Unit (DPR Based)	1
28	राज्यस्तरीय प्रशिक्षण Within State Training	250 कृषक
29	अन्तराजकीय प्रशिक्षण Outside state Training	25 कृषक
30	अन्तराजकीय परिभ्रमण Outside state Exposure	25 कृषक

योजना के विभिन्न कार्य अवयवों का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक/स्वयं सहायता समूह/किसान उत्पादन संगठन अपना आवेदन पंचायती राज संस्था के मुखिया/जनप्रतिनिधि/जिला परिषद् सदस्य से अनुशंसा कराकर आवश्यक कागजात यथा पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैंक पासबुक विवरणी/मोबाईल नम्बर/जमीन का रकबा/जमीन का खाता संख्या/प्लॉट नम्बर के साथ पूर्ण विवरणी संलग्न करते हुए विहित आवेदन पत्र दिनांक– 28.01.2024 के संध्या 5:00 बजे तक जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सर्खेलडीह, जामताड़ा में जमा कर सकते है।

लाभुक का चयन प्रखण्डवार निर्धारित अनुरूप पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

अनुदान हेतु लाभुक चयन के लिए निम्नांकित न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक होगा–

1. आवेदन पूर्ण रुप से भरा हुआ एवं सभी कागजात के साथ होगा।
2. आवेदन की प्रति मुखिया अथवा अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित किया हुआ हो।
3. आवेदक द्वारा पूर्व के तीन वर्षों तक इस योजना कार्य अवयव का लाभ नहीं लिया हो–
4. आवेदक के पास पर्याप्त भूमि हो तथा सब्जी, फल, फूल आदि की खेती करते हों।
5. कृषक अंशदान की राशि व्यय करने को इच्छुक हो।
6. आवेदक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन ही स्वीकार्य होगा।

4–

7. लाभुक के चयन में FPO/प्रगतिशील कृषकों/महिला स्वयं सहायता समूह/सिंचाई सुविधा युक्त कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा लाभुकों के चयन में टोकन प्रणाली को अपनाते हुए सूची संधारित की जाएगी।
8. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य द्वारा लक्ष्य अनुरूप लाभुक का चयन किया जाएगा।
9. विशेष परिस्थिति में किसी भी आवेदन को स्वीकृत करना या रद्द करने का अधिकार जिला उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा के पास सुरक्षित रहेगा, जिसपर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

योजना की विस्तृत जानकारी जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सर्खेलडीह, जामताड़ा से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन का प्रारूप atmajamtara.org.in पर उपलब्ध है।

Kumar 19.01.2024

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।